...दश ...ि, ...म संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा
भूमि बिक्री अनुमति वाद सं०–08 / 2021
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत
श्री चन्द्र देव पाल—विक्रेता
प्रति
श्रीमती फुलमती देवी वगैरह—क्रेता

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (विक्रेता) श्री चन्द देव पाल, पिता–स्व० राधा कृष्ण पाल, ग्राम–जोबरईया, पोस्ट–नवादा, थाना वो जिला–गढ़वा में नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता 1. श्रीमती फुलमती देवी, पति–श्री सरयु पाल, 2. श्रीमती रंजू देवी, पति–श्री अशोक पाल, दोनो ग्राम–रामबाँध, पोस्ट–शिवपुर, थाना–काण्डी, जिला–गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, गढ़वा से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंशा के साथ एवं आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, गढ़वा के जाँच प्रतिवेदन उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा के पत्रांक 154 / दिनाक 31.03.2022 के द्वारा प्राप्त हुआ एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि का विक्रेता के दादा रामबेलास के नाम से मांग पंजी II के पृष्ट सं०–37 / 20 पर चलता है। विक्रेता जाति के गड़ेरी (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेता सं०–1 पाल गड़ेरी, एवं क्रेता सं०–2 पाल गड़ेरी (पिछड़ा वर्ग) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी है। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते है। प्रस्तावित भूमि आवेदक (विक्रेता) के शांतिपूर्ण दखल–कब्जे में है। यह भूमि भूदान, भू–हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा एवं अंचल अधिकारी, गढ़वा के जाँच प्रतिवेदन / अनुशंसा के आलोक में आवेदक (विक्रेता) श्री चन्द देव पाल, पिता–स्व० राधा कृष्ण पाल, ग्राम–जोबरईया, पोस्ट–नवादा, थाना वो जिला–गढ़वा ने क्रेता 1. श्रीमती फुलमती देवी, पति–श्री सरयु पाल, 2. श्रीमती रंजू देवी, पति–श्री अशोक पाल, दोनो ग्राम–रामबाँध, पोस्ट–शिवपुर, थाना–काण्डी, जिला–गढ़वा नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तानान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरण:–

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
जोबरईया	240	42	133	$0.12^3/_4$	उ०–सोनामल प्रसाद, द०–रास्ता, पू०–छटु पाल, प०–रामचन्द्र पाल वो गौरी शंकर प्रसाद,
			कुल रकबा:–	$0.12^3/_4$	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता
गढ़वा

अपर समाहर्त्ता
गढ़वा

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2022.12.05 16:22:05 +05:30
Location: 192.168.36.160

C - 12814

कोषाध्यक्ष

सचिव

Scanned with CamScanner